न्यायालय अपर सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
फौजदारी वाद संख्या–515 / 2022
राज्य बनाम बलविन्दर सिंह आदि

धारा–323,498ए,504 भा0दं0सं0 व धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–बाजपुर
एफ.आई.आर.संख्या–18 / 2021

दिनांक–08.08.2023

पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश डाक द्वारा प्राप्त होने पर तलब की गयी। कार्यालय द्वारा न्यायालय का ध्यान माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की ओर आकर्षित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा Criminal Misc. Application U/s C 482 No-1118 of 2023 में पारित आदेश दिनांकित 28.07.2023 का ससम्मान अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा Criminal Misc. Application U/s C 482 No-1118 of 2023 में यह आदेश पारित किया है कि–

"In that eventuality, the C482 application would stand allowed, and as a consequence thereto, the proceedings of the Criminal Case No-776 of 2022, "State Vs. Balvinder Singh and others" pending consideration befroe the court of Judicial Magistrate 1st, Bazpur, District Udham Singh Nagar, would hereby stand quashed, in terms of the compounding application and the conditions given therein.

Accordingly, th C482 application would stand disposed of."

अतः माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा Criminal Misc. Application U/s C 482 No-1118 of 2023 में पारित आदेश दिनांकित 28.07.2023 से हस्तगत फौजदारी वाद की कार्यवाही पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर समाप्त की गयी है।

यद्यपि दिनांक 20.07.2023 को इस न्यायालय से अभियुक्तगण बलविन्दर सिंह एवं सुमित्रा के विरूद्ध उपस्थिति हेतु बी.डबलू–10,000 / –रूपये जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिस कारण संबंधित थाना केलाखेडा को आदेश की प्रति प्रेषित कर सूचित किया जाये कि अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी बी.डबलू का निष्पादन न करें तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी बी.डबलू–10,000 / –रूपये अविलम्ब न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली पर अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। तदनुसार पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार (दाण्डिक) संचित हो।

(सांची अग्रवाल)
अपर सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाजपुर जिला उधम सिंह नगर